He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1960]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933

No. 1960]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2011

का.आ. 2352(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 की सं. का.आ. 2710(अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपित्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

हरकेश नगर में निम्नलिखित 2000 वर्ग मी0 क्षेत्र के भू-उपयोग का मनोरंजन (जिला पार्क)से 'सार्वजिनक एवं अर्ध-सार्वजिनक (सामुदायिक हॉल)' में परिवर्तन नीचे दिए गए विवरणानुसार किया है:-

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग	परिवर्तित	सीमाएं
		(एपीडी-2021)	भू-उपयोग	
जोन ''एफ'' में	2000 वर्ग मी0	मनोरंजन	'सार्वजनिक और	उत्तर पूर्व- प्रस्तावित 9 मी0
हरकेश नगर		(जिला पार्क)	अर्ध- सार्वजनिक	रोड
	1		(सामुदायिक हॉल)	दक्षिण पूर्व - दिल्ली जल बोर्ड
				की बाउंड्री वाल
				उत्तर पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क
			,	दक्षिण पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क

[फा. सं. के-13011/9/2009-डी डी I बी] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

- S.O. 2352(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2710(E) dated 28th October, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 2000 sqm. from 'Recreational' (District Park) to 'Public & Semi Public' (Community Hall) at Harkesh Nagar is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Harkesh Nagar in Zone `F'	2000 sqm.	'Recreational' (District Park)	'Public & Semi Public' (Community Hall)	North East: Proposed 9 M Road South East: Boundary wall of Delhi Jal Board North East: District Park South East: District Park

[F. No. K-13011/9/2009-DDIB] SUNIL KUMAR, Under Secy.